

कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)
.. आदेश ..

क्रमांक 1420 / दो-11-4 / 2022-23 भोपाल, दिनांक 04 सितंबर, 2023

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/5971/चार-3-1/65 (एकजाई) जबलपुर, दिनांक 22.08.2023 के द्वारा इस न्यायिक जिला स्थापना के लिये निम्नांकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा के आधार पर सूची में सरल क्र. 1 लगायत 17 पर उल्लेखित अभ्यर्थीगण शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन के पद पर वेतनमान ₹ 25300-80500(लेवल-6) में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टायपेंड पर पूर्णतः अस्थायी व स्थानापन्न रूप से आदेश में दी गई सेवा की सामान्य शर्तों के अध्याधीन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किये जाते हैं:—

संक्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पूर्ण पता	वर्ग	चयनित वर्ग
01	कु. राजकुमारी शर्मा पिता श्री बालबिहारी शर्मा निवासी—ग्राम गंजरामपुर, पोस्ट मुडियाखेड़ा, तहसील मुरैना जिला मुरैना म.प्र. पिन 476001, मो.नं. 7828464147 ई—मेल rajkumarisharma165@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
02	श्री रितिक गौड़ पिता श्रीनिवास निवासी—कृष्णा मैरिज गार्डन के पास, मोतीझील, ए.बी. रोड, ग्वालियर म.प्र. पिन 474010, मो.नं. 6260798162, ई—मेल ritikgour75@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
03	कु. पूनम शर्मा पिता स्व० श्री हरिओम शर्मा निवासी—माधव विहार कालोनी, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, शिवपुरी म.प्र. पिन 473551, मो.नं. 9826285536 ई—मेल psharma2881997@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
04	कु. काजोल गर्ग पिता श्री राजकुमार गर्ग निवासी—36, आदर्श नगर, शिवपुरी म.प्र. पिन 473551, मो.नं. 7089092646, ई—मेल ravivarma21440@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
05	श्री भरत शर्मा पिता श्री ब्रजमोहन शर्मा निवासी—म.नं.डी 18, हनुमान नगर गोले का मंदिर,	अनारक्षित	अनारक्षित

	ग्वालियर म.प्र. पिन 474005, मो.नं. 7389474755 ई—मेल bharatsharma1408@gmail.com		
06	श्री सिम्पी गोंडाने पिता श्री देवेंद्र गोंडाने निवासी—ग्राम + पोस्ट हिर्री, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट म.प्र. पिन 481115 मो.नं.8319342257, ई—मेल simpeegondane@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनारक्षित
07	कु. प्रतिभा प्रजापति पिता श्री राजाराम प्रजापति निवासी—देवी जी के मंदिर के पास, वार्ड नंबर 6, लिधौरा, जिला टीकमगढ़ म.प्र. पिन 472001 मो.नं.8305449115 ई—मेल prajapatipratibha1234@gmail.com9	अनुसूचित जाति	अनारक्षित
08	श्री आयुष शर्मा पिता श्री सतीश शर्मा निवासी—फिल्टर रोड करैरा, जिला शिवपुरी म.प्र. पिन 473660 मो.नं. 7470497006 ई—मेल ayush1010sharma@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
09	श्री अभिषेक शर्मा पिता श्री देवेंद्र शर्मा निवासी—शंकर कालोनी, राजेश्वरी रोड, तेल के मिल के सामने, वार्ड नंबर 6 (हनुमान वार्ड) शिवपुरी म.प्र. पिन 473551, मो.नं. 7024591800 ई—मेल abhibhai7024@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
10	कु. स्वालिया अंजुम पिता श्री सादिक शेख निवासी—वार्ड नंबर 12, शांति नगर, पाढ़रवानी, लालबर्रा, जिला बालाघाट म.प्र. पिन 481441 मो.नं. 9754803058 ई—मेल swalinyaanjum99@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
11	श्री चंचल साहू पिता श्री महेश कुमार साहू निवासी—पुलिस लाइन मंडी बामोरा, तहसील बीना, जिला सागर म.प्र. पिन 464240, मो.नं. 9754103249 ई—मेल sahu.chanchal@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
12	श्रीमती भीना राठौर पिता श्री कमलेश राठौर निवासी—कोटेश्वर रोड तिराहा, चामुण्डा माता के सामने, जिला ग्वालियर म.प्र. पिन 474012 मो.नं. 7898675812 ई—मेल salonirathor93@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
13	श्री दुर्ग सिंह परिहार पिता श्री गिरवर, निवासी—ग्राम कपराना, तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र. पिन 473551, मो.नं. 9584503877 ई—मेल durgsingh parihar1@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
14	श्री भगवानदास अहिरवार पिता अमोलसिंग अहिरवार, निवासी—वैष्णो देवी मंदिर के पास, अयोध्या बस्ती, काकागंज, वार्ड नंबर 44, सागर म.प्र. पिन 470002,	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति

	मो.नं. 7879111812, ई–मेल bhagwandasahirwar222@gmail.com		
15	कु. निधि गडपाले पिता श्री चुन्नीलाल गडपाले, निवासी—वार्ड नंबर 3, ग्राम आंवलाझरी, पोस्ट भरवेली, जिला बालाघाट म.प्र. पिन 481001, मो.नं. 7024093023 ई–मेल nidhigadpale95@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
16	श्री सुनील सगर पिता श्री हरिचरण सगर, निवासी—वार्ड नंबर 15, गणेश कालोनी, वैशाली गार्डन के सामने, गुना बायपास, शिवपुरी म.प्र. पिन 473551 मो.नं. 8770347147, ई–मेल ssssuneel7@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
17	कु. साक्षी कोरकू पिता श्री विष्णु कोरकू निवासी—वार्ड नंबर 1, जगतपुर लाईन, कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. पिन 473774 मो.नं. 7354635722 ई–मेल sakshikorku@gmail.com	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति

// सेवा की सामान्य शर्त //

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन भत्ते के समतुल्य राशि का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा यदि आप सेवात्याग करना चाहें तो एक माह पूर्व लिखित सूचना अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन—भत्तों के समतुल्य राशि संबंधित शीर्ष में शासन के पक्ष में चालान द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त राशि भू—राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जावेगी।
2. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शासकीय सेवा योग्य होने का आरोग्यता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त की जावेगी।
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6(6) अनुसार दो से अधिक संतान न करने का पालन सुनिश्चित करेंगे, उक्त नियम का पालन न करने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क. एफ—9/ 3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।
5. प्रथम नियुक्ति के समय सेवा—पुस्तिका में अपने समस्त शैक्षणिक व अर्हकारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उल्लेख कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हेतु किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर अथवा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अलावा किसी अन्य नियोजन के लिए बिना अनुमति व अनापत्ति प्रमाण—पत्र के आवेदन नहीं कर सकेंगे।
6. नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक एवं अर्हकारी प्रमाण—पत्र असत्य अथवा कूटरचित पाये जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक तथा अभियोजन संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

7. इस आशय का शपथ—पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध कोई दाप्ति कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारण हेतु अथवा किसी थाने में अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है। इसके अलावा किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है। यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चरित्र सत्यापन कराए जाने पर सेवा के अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी तथा असत्य शपथ—पत्र प्रस्तुत करने पर अभियोजन के भागी होंगे।
8. शासकीय सेवक का सम्पूर्ण समय शासनाधीन है, जिनकी किसी भी समय सेवायें ली जा सकती हैं। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे और न ही सामान्यतः स्वीकृत अवकाश से अधिक उपभोग करेंगे।
9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016, संशोधित नियम 2019, के प्रावधान लागू होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थीगण का तीन वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानान्तरण सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकीय आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
11. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

-Sd-

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 10887 / दो—11—4 / 2023

भोपाल, दिनांक 04 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि—

1. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल म.प्र.
2. जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, भोपाल
3. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय / नजारत / कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित अभ्यर्थीगण की ओर पालनार्थ प्रेषित है।
5. लेखापाल / देयक लिपिक / सेवा पुस्तिका संधारण लिपिक / ओ.एम. कार्यालय अनुभाग / सी.पी.एफ. पासबुक लिपिक जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, भोपाल की ओर ई—मेल से भेजने के लिये करने एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट पर दर्शित करने के लिये प्रेषित है।

-Sd-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)